दस रुपये TEN RUPEES INDIA

(38)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल भोपाल संभाग भोपाल

प्रकरण कमांक – R-3782-PBR/16-

श्रीमति अनिता जैन पत्नी श्री दिनेश जैन
आयु वयस्क,
निवासी – डी 48 नेहरू नगर तहसील हुजूर जिला भोपाल · आवेदिका / रीविजनकर्ता

विरूद्ध

01. रामचरण आ0 श्री नन्दराम गेहलोत
आयु वयस्क,
निवासी – बरखेडा नाथू तहसील हुजूर जिला भोपाल
02. शासन अनावेदकगण / उत्तरदाता

निगरानी / रीविजन आवेदन अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भुराजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय ,

आवेदक / रीविजनकर्ता द्वारा यह रीविजन राजस्व निरीक्षक मण्डल 3 रातीबढ तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा सीमाकंन प्रकरण 20 / अ – 12 / 2015–2016 में दिनांक 29 / 01 / 16 को प्रस्तुत सीमाकंन पंचनामा एवं आदेश के विरूद्ध दुखित एवं असंतुष्ठ होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्य एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

(12)

अभिभाषक श्री........ द्वारा आज दिनांक 17/10/16 को पेश।

प्रकरण के तथ्य

यह कि उत्तरदाता द्वारा भूमि खसरा कं 35 / 2 रकबा 0.032 हे0 स्थित ग्राम कलखेडा तहसील हुजूर जिला भोपाल का दिनांक 29. 01. 16 को कराये गये सीमाकंन के विरूद्ध उक्त रीविजन, रीविजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।

आवेदिका ने अनावेदक 2 गुरूबक्श आ0 नन्दराम से उनके स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम कलखेडा तह0 हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि में से वर्तमान खसरा नं. अनुसार ख. नं. 35 रकबा 0.260 हे0, ख. नं. 39 रकबा 0.260 हे0, ख. नं. 40 रकबा 0.330 हे0, ख. नं. 41 रकबा 0.190 हे0, ख. नं. 44 रकबा 0.080 हे0, इस प्रकार कुल रकबा 1.120 हे0 भूमि पंजीकृत विकय पत्र से दिनांक 29. 05. 2007 को कय की है। अपीलार्थी के नाम भूअधिकार पुस्तिका एवं ऋण पुस्तिका तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

उत्तरदाता कं 1 ने श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष एक आवेदन धारा 89 म0 प्र0 भूराजस्व संहिता के अंतर्गत दिनांक 30. 10. 09. को इस आशय प्र0 कं 54 / अ6 / 11–12 प्रस्तुत किया कि उसकी 0.032हे0 अर्थात 0.8 डेसीमल भूमि कम हो गयी। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित प्रविष्टि पी 1 अनुसार आवेदिका की उपरोक्त वर्णित भूमि में से खसरा कं 35 रकबा 0.260 है0 में से भूमि खसरा कं 35 / 2 रकबा 0.032 हे0 अर्थात 0.8 डेसीमल भूमि कम करके उत्तरदाता कं 1 के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज की गई तथा भूमि खसरा कं 44 रकबा 0.080 हे0 भूमि का उल्लेख संशोधित प्रविष्टि में नही किया गया। इस प्रकार आवेदिका की संशोधित प्रविष्टि में वर्णित अनुसार खसरा कं 35 रकबा 0.260 हे0 भूमि में से 0.032 हे0 अर्थात 0.8 डेसीमल भूमि कम कर अंकित की गई है।

उपरोक्तानसार राजस्व निरीक्षक ने प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टि पी 1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3782-PBR/16 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-01-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल-3 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । रीडर अध्यक्ष	